भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
आतारांकित प्रश्न सं. 3144
19.03.2025 को उत्तर देने के लिए

सांख्यिकीय आधिकारिक डेटा तक पहुंच के लिए प्रारूप दिशानिर्देश

3144. **श्री असादुद्दीन ओवैसीः**

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सांख्यिकीय आधिकारिक डेटा तक पहुंच के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों का प्रारूप जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) प्रतिबंधित पहुंच वाले डेटा के लिए पूर्व-अनुज्ञा लेने और प्रकरण-वार अनुमोदन के प्रस्तावित प्रावधान का क्या औचित्य है और यह डेटा-संचालित नियमन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस तरह संबंध रखता है;
(ग) क्या सरकार ने अकादमिक अनुसंधान, निजी डेटा उपयोगकर्ताओं और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण पर उक्त प्रारूप दिशानिर्देशों के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या प्रस्तावित दिशानिर्देशों में अस्वीकृत डेटा-पहुंच अनुरोधों के लिए अपील करने की प्रणाली शामिल है और यदि नहीं, तो क्या सरकार की ऐसा प्रावधान लाने की योजना है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (ग): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ने हाल ही में इसके मौजूदा सांख्यिकीय डाटा प्रसार संबंधी दिशानिर्देशों (जीएसडीडी) के संशोधित संस्करण के मसौदे पर विचार-विमर्श किया। मंत्रालय ने अप्रैल, 2019 में मौजूदा जीएसडीडी को अधिसूचित किया था। विचार-विमर्श के तहत, संशोधित दिशानिर्देशों का मसौदा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में परिचालित करने के साथ-साथ अन्य हितधारकों से टिप्पणियाँ माँगने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

प्रतिबंधित पहुंच वाले डेटा संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के मसौदे में प्रस्तावित प्रावधान वर्ष 2012 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय डाटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी) के अनुरूप हैं।

(घ): जी नहीं। वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।